

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला  
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 170 / 2018  
आर.सी.टी. कं. 163 / 18  
संस्थापन दिनांक—05.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,  
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

बाला पिता माका उम्र 45 साल,  
निवासी पीरबाबा बैडी चारण मोहल्ला ठीकरी  
थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //  
(आज दिनांक 05.05.2018 को घोषित )

- 01— अभियुक्त बाला के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 30.04.2018 को समय 21:00 बजे, स्थान— नायदड रोड ठीकरी पर अभियुक्त के आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 30.04.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नायदड रोड पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान संजय पिता छोगालाल व पेमा पिता माका को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर नायदड रोड के पास पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति रोड पर हाथ में प्लास्टिक की थैली लिये दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम बाला पिता माका मेघवाल का होना बताया। अभियुक्त बाला के पास मिले एक प्लास्टिक की थैली को चेक करते उसके अंदर 16

निरंतर.....

क्वाटर देशी प्लेन शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त बाला का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष अभियुक्त बाला पिता माका मेघवाल के कब्जे से 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 161 / 18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त बाला पिता माका मेघवाल के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त बाला पिता माका मेघवाल ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छयापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000 /— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा 16 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर  
टंकित किया गया।

सही /—

सही /—

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0



न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, उज्जैन

आप0प्र0क0—8855 / 11

संस्थापन दिनांक—22.12.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र  
माधवनगर, जिला उज्जैन म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध  
हरपाल पिता पूनमचंद्र गोठवाल, उम्र— 50 वर्ष, निवासी—बेरवा धर्मशाला के पास,  
बागपुरा उज्जैन

.....अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक .....11.08.17..... को घोषित )

01— अभियुक्त हरपाल पिता पूनमचंद्र गोठवाल के विरुद्ध धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत आपने दिनांक 02.12.2011 को समय 15.45 बजे स्थान मसीह कंपाउंड पेड के नीचे थाना माधवनगर जिला उज्जैन अवैध रूप से पैसों का लेनदेन कर सट्टा पर्ची से सट्टा कर रहे थे और किसी अंक अथवा संख्या के संयोजन को वर्ली, मटका अथवा खेल के किसी रूप में प्रकाशित करके या प्रकाशित करने का प्रयत्न करके ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 के तहत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.12.2011 को इलाका भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी प्रशांत यादव उपनिरीक्षक थाना माधवनगर को मुखभीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मसीह कंपाउंड में सट्टा हो रहा है तभी सूचना की तसदीक हेतु मसीह कंपाउंड पहुंचा तो वहा दीवाल की आड से देखा व पंचानों को दिखाया कि कुछ लोग रुपये

पैसों का लेनदेन कर सट्टा पर्ची से सट्टा कर रहे थे। जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर दबिश देकर उक्त लोगो को पकडा जिसमें से एक व्यक्ति जो सट्टा ले रहा था मौके से भागा व जिसका पीछा करने पर पकड नही आ सका। घटना स्थल पर से पकडे लोगो के नाम पता पूछने

पर जगदीश मालवीय , हरपाल गोठवाल, शंकरलाल मालवीय सभी निवासी उज्जैन बताया। आरोपियों से फरार आरोपी के आरोपी के बारे में यह बताया गया कि उसका नाम दिलीप झांझोड है और वह मसीह कंपाउंड में रहता है और वही सट्टा ले रहा था। आरोपियों की तलाश लेने पर आरोपी जगदीश मालवीय के कब्जे से दो अंक लिखी सट्टा पर्ची नकदी 620/— व आरोपी हरपाल गोठवाल दो अंक लिखी सट्टा पर्ची व एक लिड पेन नकदी 420/—रूपये व आरोपी शंकर के कब्जे से 400/—रूपये मिले। आरोपियों का कृत्य धारा 4 क द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से उपरोक्त आरोपियों से जप्त सट्टा पर्ची 6 व नगदी 1440/—रूपये विधिवत कब्जे से पृथक पृथक जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया व आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया और थाने के अप0 क0754/11 पर प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को सट्टा पर्ची लिखकर रूपये पैसों की हारजीत का दाव लगाना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छा पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/—रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 07 दिवस का कारावास प्रथक से भुगताया जावे।

06— प्रकरण में आरोपी से जप्त धनराशि 420/—रूपये के संबंध में अन्य अभियुक्तगण या अन्य किसी ने इसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यह आदेशित किया जाता है कि यह धनराशि अपील अवधि पश्चात राजसात हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में जप्तशुदा लीड पेन व दो अंक लिखी सट्टापर्ची अपील अवधि पश्चात नष्ट हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

07— अभियुक्त कभी भी न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

08— धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर  
टंकित किया गया।

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी  
उज्जैन म0प्र0

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी  
जिला उज्जैन म0प्र0

जिला